

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 22/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 2021

सा.का.नि. ....(अ) . वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की धारा 141 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2020, जिसे सा.का.नि. 68 (अ), दिनांक 2 फरवरी, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (2) में, "564" संख्या, के पश्चात "564क, 564ख, 564ग" संख्या और शब्दों, को अंतःस्थापित किया जाएगा ।
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 को प्रवृत्त होगी ।

[फाइल संख्या 354/75/2020 -टीआरयू]

(राजीव रंजन)  
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 08/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2020, सा.का.नि. संख्या 68(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 06/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, सा.का.नि. 64 (अ) दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।